CISTRO TELELINK LIMITED

CIN No: L19201MP1992PLC006925
206, Airen Heights, AB Road, Indore 452010, Madhya Pradesh
Tel No.:0731-2555022; Fax No.:0731-2555722
Email ID-cistrotelelink@gmail.com
Website: www.cistrotelelink.com

Date: 14th November, 2024

To,
Department of Corporate Service (DCS-CRD),
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.

Ref: CISTRO TELELINK LIMITED – 531775

Sub: Submission of Newspaper Publication of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2024.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement regarding Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th September, 2024 published in newspaper namely "Free press Journal" in English edition and "Indore Samachar" in Hindi edition on 13th November, 2024.

You are requested to kindly take it on your records.

Thanking You,

Yours truly,

FOR CISTRO TELELINK LIMITED

ARUN KUMAR SHARMA
DIRECTOR
DIN: 00369461

विशेष टिप्पणी

प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला पत्र

माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2014 में आपके आगमन से न केवल भारतीय राजनीति की दशा अपितु दिशा भी बदली है। बतौर नागरिक हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आपने देश के आम और खास नागरिकों का हमेशा ख्याल विभिन्न कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के मार्फत रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इनदिनों दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की समाप्ति को लेकर ऊहापोह वाली स्थिति बनी है। हालांकि यह योजना विधिवत रुप से 30 सितम्बर 2024 को समाप्त हो गयी और इसके स्थान पायलट योजना का ब्लू प्रिंट हालांकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जारी किया गया है। लेकिन सवाल मौंजू है कि इस योजना को चलाने के लिए वर्क फोर्स कहां से और कैसे आयेगा, इसकी चर्चा नहीं है? इस योजना की समाप्ति से करीब देश भर के हजारों प्रोफेशनल्स और लाखों शहरी गरीब लोगों को असामयिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब तो है कि इन शहरी गरीबों के लिए लाखों रूपये से तैयार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधर में लटकी है। हालांकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया था कि डे- एन यू एल एम योजना यथावत रहेगी। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में यह योजना कोअगर विस्तार मिलता है तो कई हजारों लोगों की आजीविका तथा शहरी गरीबों का चतुर्दिक उत्थान संभव होगा। उम्मीद है आप हमलोगों की पुकार सुनेंगे।

डॉ. हर्ष वर्द्धन (टिप्पणीकार)
पटना बिहार

मुफ्त रेवड़ी पर हम तो हैं अटल

.... सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चुनावी वादों में मुफ्त रेवड़ियां बांटने का मना किया था. किन्तु हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी घोषणा-पत्रों में मतदाताओं से %%मुफ्त रेवड़ियों%% के वादे कानून को बला-ए-ताक में रखकर बड़े जोरशोर से कर रही है. फिर चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र. अगर हमारी सरकार आई तो %%कोई महिलाओं को 2100 तो कोई 3000 प्रतिमाह व बेरोजगारों को 4 हजार प्रतिमाह, 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ बीमा आदि अन्य सुविधाएं भी देने की खुले आम घोषणाएं कर रहा है. मजेदार बात यह है कि ?सी भी पार्टियां भी मुफ्त रेवड़ी की बात कर रही है जिसकी सरकार कुछ प्रदेशों में होने के बावजूद वे उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है और अपने नेताओं को आर्थिक तंगी के चलते मुफ्त घोषणाएं ना करने की सख्त चेतावनी भी दे रही है. कांग्रेस पूर्व में भी लोकसभा चुनाव के वक्त 8000 जुलाई से प्रतिमाह खटाखट आने का लिखित में वादा करके मतदाताओं से नजर चुरा चुकी है. अब फिर महाराष्ट्र व झारखंड में होने वाले चुनावों हेतु वो बड़े-बड़े लुभावने वादे कर रही है. हालांकि भाजपा भी मुफ्त रेवड़ी बांटने के वादे करने में पीछे नहीं है. ऐसा लग रहा है %%मुफ्त रेवड़ी%% बांटने की जैसे राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा ही चल रही हो. जबकि प्रदेश और देश के विकास में जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त टैक्स का सदुपयोग होना चाहिए। किन्तु वे तो जनधन का अपने स्वार्थ के लिए (येनकेनप्रकारेण चुनाव जीतने के लिए) मृगतृष्णी वादे पर वादे हर चुनाव में करते ही जा रहे हैं. क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ऐसा करना देशहित में सही है ? ज़रा सभी दल इस बारे में गंभीरता से सोचें।

शकुंतला महेश नेनावा,57, गिरधर नगर (तिलक नगर के पास), इंदौर (म.प्र.).. फोन.. 0731-4046326.

अंतिम पत्र

अटपटे मुद्दों पर होती बहस।
समाचार।
विधानसभा चुनाव में जनहित और
विकास के मुद्दों पर कम और फ्रेंडली
और पोस्टर फाइट पर चली बहस ।
टिप्पणी ।
मतदान तिथि के आते अब खटाखट,
फटाफट,और सटासट जैसे शब्दों पर
बहस से क्या मतदाता को लुभाएंगे ?
बी एल शर्मा ÷अकिंचन÷तराना-उज्जैन

प्राधिकरण के सीईओ ने किया मौका मुआयना

आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ रु के शेड

40000 स्कायर फीट क्षेत्र में लगने वाले शेड के लिए 20000 स्कायर फीट क्षेत्र में लग गई फ्रेम

इंदौर । इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए जा रहे नए आईएसबीटी में बसों के खड़े करने के लिए शेड बनाने के काम पर ? 3 करोड रुपए खर्च होंगे। इस बस अड्डे में 40000 स्कायर फीट क्षेत्र में शेड लगाए जाएंगे। इसमें से 20000 स्कायर फीट क्षेत्र में शेड लगाने के लिए फ्रेम लगाने का काम हो गया है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने बताया की एम आर 10 पर ग्राम कुमेडी में नए इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर का यह सबसे बड़ा बस टर्मिनल तेज गति के साथ आकर लेता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों इस बस अड्डे का काम एक दिन में तीन शिफ्ट में किया जा रहा है। प्राधिकरण के द्वारा जब से इंदौर शहर में चार फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया है उसके बाद से पूरा ध्यान आईएसबीटी के काम को आकार देने में लगा दिया गया है।

अहिरवार के द्वारा आज मौके पर जाकर निरीक्षण कर आईएसबीटी के कामों के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है । उन्होंने कौन सा काम कब तक होगा, इसके लिए समय सीमा का निर्धारण भी कर दिया है। अहिरवार ने बताया कि इस बस अड्डे में खड़े होने वाली बसों के लिए शेड बनाने का प्रावधान किया गया था । इस आईएसबीटी पर कुल 3 शेड का निर्माण होना है। यह शेड 40000 स्कायर फीट क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इन शेड को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी पहले फ्रेम बनाने का काम किया जा रहा है। इस समय तक 20000 स्कायर फीट क्षेत्र में फ्रेम बनाकर लगा दी गई है। अगले 20 दिन के अंदर फ्रेम लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही फ्रेम पर शेड फीट करने का काम भी शुरू हो जाएगा। इस बस स्टैंड के बन जाने से दूसरे प्रदेशों के लिए संचालित होने वाली सभी बसों का संचालन इस बस स्टैंड से शुरू हो सकेगा। इससे इंदौर शहर की यातायात की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ सकेगा। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं वह सारे प्रयास इस बस स्टैंड के बनने और चालू होने के बाद ही परिणाम मूलक हो सकेंगे। निरीक्षण के दौरान अहिरवार ने बस टर्मिनल पर बसों एवं यात्रियों के लिए पहुँच मार्ग का भ्रमण किया। शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए अधिकारियों एवं निर्माणकर्ता एजेंसियों को आदेशित किया। साथ ही बस टर्मिनल के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक घटकों जैसे सीसीटीवी संचालन, फायर फायटिंग व्यवस्था, अनाउंसमेंट सहित अन्य सभी की भौतिक प्रगति को सूक्ष्मता से जांचा। इस बस टर्मिनल का कार्य 95त्न से अधिक पूर्ण हो चुका है तथा आगामी 1 माह में कार्य को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- भव्य आयोजन आयोजन, प्रविष्टियां 30 नवंबर तक संस्था कार्यालय पर आमंत्रित ,

देश -विदेश की 101 प्रतिभाओं को दिया जाएगा अटल गौरव सम्मान 2024

इंदौर। सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के लिए विश्व ब्राह्मण समाज संघ देश-विदेश की ख्यात सर्व समाज की प्रतिभाओं को सामाजिक समरसता के भाव के साथ नि:शुल्क अटल गौरव सम्मान प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है इसी श्रृंखला में वर्ष के दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है इसके लिए प्रविष्टियां बुलाई जा रही है चयन के लिए उच्य स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, जो प्राप्त प्रविष्टियां पर विचार करेंगे।

विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पं.योगेंद्र महंत ने बताया कि अटल गौरव सम्मान 2024 का आयोजन भव्य और गरिमामय बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है । आयोजन के लिए 30 नवम्बर तक संस्था कार्यालय इंदौर के यशवंत निवास रोड स्थित 302 रॉयल डायमंड पर एवं भोपाल में रवेरा हिल्स कार्यालय पर आमंत्रित की जा रही है। पं. योगेंद्र महंत ने बताया कि इस आयोजन में मुख्य रूप से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ,प्रशासनिक अधिकारी आईएएस ,आईपीएस, कला, साहित्य ज्योतिष, खेल, व्यापार और नवाचार, शिक्षक, क्षेत्रीय कलाकार आदि प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना है प्रविष्टियां ईमेल vishwabrahmansamajsangh{v@gmail.com, मोबा न 9039971715, 9893886350 पर वाट्सएप पर भी भी आमंत्रित की जा रही है। इंदौर से आने वाली प्रविष्टियों को ऑफिस कार्यालय में हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजी जावे इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश , राजस्थान, गुजरात , महाराष्ट्र में भी संस्था कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा प्रविष्टियां प्राप्त की जा रही है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य प्रमुख राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां रहेगी।

प्रतिभा को मिले सम्मान इसलिए आयोजन-पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व ब्राह्मण समाज संघ पं. योगेंद्र महंत ने बताया कि अटल गौरव सम्मान प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को एक मंच के माध्यम से सभी के बीच में लाना और उनके मनोबल को बढ़ाना ताकि वे अपने श्रेष्ठ में किए गए योगदान से देश एवं समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने में सहायक हो और इन्हें देखकर दूसरे अन्य समाज जान भी समाज में कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करते रहे जिससे कि हमारे देश की ख्याति लगातार नवीनता की ओर अग्रसर रहे। पंडित अनंत महंत ने बताया कि विश्व ब्राह्मण समाज संघ के द्वारा निशुल्क रूप से इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर आदि कई शहरों में प्रतिवर्ष अटल गौरव सम्मान का आयोजन किया जाता रहा है।

बिजली सप्लाई बंद होने पर स्मार्ट मीटर में ही हर्जाना क्यों ....?

नाकामी छुपाने गलत निर्णय, आयोग को आपत्ति भेजी

इंदौर (ई)। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा है कि गत 8 नवंबर को पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में 4 घंटे से अधिक समय तक बिजली सप्लाई बंद रहने की स्थिति में है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को हर्जाना देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह शर्त रखी है कि इसके लिए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगना चाहिए। मंच के मुताबिक यह निर्णय विद्युत सप्लाई कोड विरुद्ध है और यह गलत निर्णय कंपनी द्वारा अपनी नाकामी छिपाने के लिए लिया गया है। यह आपत्ति डॉ. पीजी नाजपांडे ने आज विद्युत नियामक आयोग को भेजी है।

नाकामी छिपाने हेतु यह निर्णय- नियामक आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी ने 12 अगस्त 2021 को विद्युत प्रदाय संहिता 2021 को मप्र राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी मीटर हो यदि बिजली बंद है तो कंपनी जिम्मेदार होगी तथा उसे जुर्माना देना होगा।

इस सप्लाई कोड को लागू हो कर अब 4 वर्ष बीते है, किन्तु किसी भी उपभोक्ता को हर्जाना दिया गया नहीं है। यही नाकामी छिपाने के लिए अब स्मार्ट मीटर का उल्लेख 8 नवंबर 2024 के निर्णय में किया गया है।

मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं कर रहे कॉलेज संचालक

नर्सिंग कॉलेजों पर सख्ती का असर

इंदौर (इ)। मप्र में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में शासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। पूरे प्रदेश में 45 हजार की जगह 6 हजार के नीचे इस बार नर्सिंग की सीट रह सकती है। मान्यता नवीनीकरण के लिए करीब 300 आवेदन नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने दिए हैं। इन 300 आवेदनों में से करीब 125 ही मान्यता योग्य है। बता दें कि मामले की जांच एवं सीबीआई की रिपोर्ट में 175 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता योग पाए गए थे। सख्ती के बाद कई नर्सिंग कॉलेज संचालक हाथ पीछे खींच रहे है। कई कॉलेज संचालकों ने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं दिया है। साल 2020 में 670 कॉलेज में करीब 45 हजार नर्सिंग की सीट थी। पिछले साल सरकार ने तय किया था कि नए कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलेगी। वहीं पहले से संचालित नर्सिंग कॉलेजों का नवीनीकरण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दो से तीन दिन के अंदर मान्यता का नवीनीकरण का काम पूरा हो जाएगा। सीबीआई और हाई कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के परीक्षण में भले ही लगभग 175 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के योग्य पाए गए हैं, पर सख्ती के चलते कई कॉलेज संचालक हाथ खींच रहे हैं। उन्होंने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया है। सीटों की बात करें तो इन 125 कॉलेजों में जीएनएम (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) और बीएससी (नर्सिंग) मिलाकर लगभग छह हजार सीटें ही हैं, जबकि वर्ष 2020 के बाद एक समय ऐसी स्थिति थी कि प्रदेश में 670 नर्सिंग कॉलेजों में 45 हजार तक सीटें थीं। यह कॉलेजों और सीटों की अब तक की सर्वाधिक संख्या रही। सीटें कम होने का बड़ा नुकसान नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की तैयारी कर रहे युवक-युवतियों का होगा।

कोई नया कॉलेज नहीं खोला जाएगा-मप्र नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों ने बताया कि एक-दो दिन के भीतर मान्यता जारी होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने तय किया है वर्ष 2023 की तरह इस वर्ष भी कोई नया कॉलेज नहीं खोला जाएगा, सिर्फ पहले से संचालित कॉलेजों को ही मान्यता दी जाएगी। नवीनीकरण के लिए कॉलेजों से आवेदन मांगे गए थे, जिनके परीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। मान्यता नवीनीकरण सूची जारी होने के बाद एमपी ऑनलाइन से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रवेश के लिए कर्मचारी चयन मंडल पहले ही प्रवेश परीक्षा आयोजित कर चुका है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर में प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में मापदंड को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कुछ कॉलेजों का फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पकड़ा। हाई कोर्ट ने अपात्र कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए। इस तरह लगभग 200 कॉलेज बंद हो गए। अभी 485 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें लगभग 350 बंद हो जाएंगे क्योंकि वे मान्यता के लिए जरूरी सुविधाओं के पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे। आगे भी यही स्थिति रही तो प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार नर्सिंग कर्मचारी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को नहीं मिल पाएंगे।

शीघ्र रिजल्ट जारी करने की मांग-उधर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नर्सिंग परीक्षा परिणामों में देरी पर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर नर्सिंग के प्रथम एवं तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग की है। बता दें, नर्सिंग घोटाले और विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते 2020-21 सत्र की बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षाएं चार साल बाद मई 2024 में आयोजित की गई थीं। इसके अलावा 2019-20 सत्र की बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की परीक्षा भी काफी समय बाद मई 2024 में हुई थी।

6 महीने बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं-रवि परमार ने बताया कि, परीक्षाएं खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। [illegible] और शैक्षणिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी का सीधा असर विद्यार्थियों की आगामी परीक्षाओं और कक्षाओं पर पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के नर्सिंग परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, नवंबर 2024 में 2020-21 सत्र के द्वितीय वर्ष और 2019-20 सत्र के चतुर्थ वर्ष की परीक्षाएं होनी थीं, लेकिन परिणामों की घोषणा न होने के कारण अगली परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। परमार ने बताया कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल [illegible]

सिस्ट्रो टेलीलिंक लिमिटेड

CIN: L19201MP1992PLC006925
पता: 206, एरियन हाइट्स, ए.बी. रोड सूरत

30.09.2024 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिकी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणाम | रुपये लाख में

क्रमांक	विवरण	तिमाही समापन 30.09.2024	अर्द्धवार्षिकी समापन (30.09.2024) (ईयर टू डेट फिगर्स/ प्रीवियस ईयर एंडिंग)	तिमाही समापन 30.09.2023
		गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित
1.	संचालनों से कुल आय	5.07	11.99	9.02
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद एवं/अथवा असाधारण मदों पर कर से पूर्व)	-8.44	-13.13	3.61
3.	कर पूर्व अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद एवं असाधारण मदों के पश्चात)	-8.44	-13.13	3.61
4.	कर पश्चात अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवाद एवं/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	-8.44	-13.13	3.61
5.	अवधि की कुल व्यापक आय (अवधि के सम्मिलित लाभ/(हानि) (कर पश्चात एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	-8.44	-13.13	3.61
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	513.43	513.43	513.43
7.	रिजर्व (पुनः मूल्यांकित रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष की अंकेषित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है	-216.27	-216.27	-73.43
8.	प्रतिशेयर आय (प्रत्येक 1/-रुपया) (चालू एवं बंद संचालनों बाबद)			
	(क) बेसिक	-0.01	-0.02	0.00
	(ख) डाईल्यूटेड	-0.01	-0.02	0.00

नोटः उपरोक्त विवरण स्टॉक एक्सचेंज में सेबी **(लिस्टिंग आब्लीगेशंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स)** के रेग्युलेशंस 2015 के विनिमय 33 के अन्तर्गत दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com(s) एवं कम्पनी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

संचालक मंडल के आदेशानुसारसिस्ट्रो टेलीलिंक लि. तर्फे
हस्ता./
स्थान: इन्दौर
तिथि: 11/11/2024
नाम: अरुण कुमार शर्मा (निदेशक)
DIN No.: 00 369461

दिसंबर-जनवरी में आएगा कड़ाके की ठंड का दौर

इंदौर(ई)। मप्र में इस बार दिसंबर-जनवरी में कड़ाके की ठंड का दौर आएगा। इन दो महीनों में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव की स्थिति रह सकती है। नवंबर के 10 दिन में प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा है। यहां टेम्प्रेचर 10.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी सर्दी है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह की मानें तो नवंबर में पारा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इस साल पिछली बार से ज्यादा सर्दी पड़ेगी। ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठिठुरेंगे। यहां कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं भी चलेंगी।

दिसंबर-जनवरी में ही कड़ाके की ठंड क्यों?- मानसून के चार महीने (जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर) में से दो महीने जुलाई-अगस्त महत्वपूर्ण रहते हैं। इन्हीं में 60 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश हो जाती है। ठीक उसी तरह दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इन्हीं दो महीने में प्रदेश में उत्तर भारत से सर्द हवाएं ज्यादा आती हैं इसलिए टेम्प्रेचर में गिरावट आती है। वहीं, सर्द हवाएं भी चलती हैं।

दिसंबर में टेम्प्रेचर में गिरावट, कोल्ड वेव चलेगी- डॉ. सिंह ने बताया कि दिसंबर की शुरुआत से ला नीना की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। इससे ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड में ठंड जोर पकड़ेगी। हालांकि, कड़ाके की ठंड का दौर 20 दिसंबर से शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिक डॉ. सिंह ने बताया कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के कई शहरों में कोल्ड वेव यानी सर्द हवाएं चलेंगी।

जाहीर नोटीस

TATA MOTORS द्वारा ज़ब्त की गई गाड़ियो की नीलामी BIDKARO द्वारा १४ नवंबर गुरुवार दोपहर २ बजे से सुरु होगा
नीलामी में भाग लेने के लिए कृपया संपर्क करें चंदन - **8591076022**
प्रमोद-**9039165192**
नीलामी का पता: **HOTEL SURYA INDORE -/5, Surya Circle, Nath Mandir Road, South Tukoganj (M.P.) 452001**

Biden, Harris 1st outing since election loss

IANS
WASHINGTON

US Vice President Kamala Harris made her first appearance alongside **President Joe Biden**, following her loss to Donald Trump in the US Presidential elections, at the Arlington National Cemetery on Veterans Day. **Kamala Harris** on Monday laid a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier with the President, while Biden told US veterans that serving as their Commander-in-Chief had been the "greatest honour" of his life.

"This is the last time I will stand here at Arlington as Commander-in-Chief," the President said in an address. "It's been the greatest honour of my life to lead you, to

serve you, to care for you, to defend you -- just as you defended us, generation after generation after generation." "We have many obligations, but only one sacred obligation," Biden said, speaking about caring for America's service members and veterans. "We commit and recommit to the sacred vow."

Biden spoke of his visits to veterans cemeteries in Europe, adding he would never forget "standing in the cliffs of Normandy, 80 years after D-Day, to honour the service members and veterans who literally saved the world". Afterwards as "God Bless America" played, Biden dabbed both eyes with a handkerchief.

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष- 07692-297254
E-Mail:- dean.vds@mp.gov.in Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक / 4969 / स्था. / राज / इन हाउस विज्ञप्ति - 15 (शैक्षणिक) / 24 — विदिशा / दिनांक: - 11/11/2024

/ / प्रेस विज्ञप्ति सूचना / /

1 मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53 / 2017 /1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय. विदिशा के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 416 / स्था. / राज / 2022 भोपाल दिनांक 22/04/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची एवं एन.एम.सी. के नवीन मापदण्ड / आवश्यकतानुसार, प्राध्यापक / सह-प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक / 4968 / स्था. / राज / इन - हाउस विज्ञप्ति - 15 (शैक्षणिक) / 24 विदिशा / दिनांक :- 11/11/2024 के तहत आवेदन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में दिनांक - 12/11/2024 से दिनांक- 18 /11 / 2024 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं।

2. PROFESSOR/ASSISTANT PROFESSOR For In-house Candidate only.

3 उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत पदवार जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संचालक, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाईट www.gmcvidisha.org पर उपलब्ध है।

4. आवेदकों द्वारा अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की आवक शाखा में जमा कराये जावेगें।

5. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और अनारिक्षत (UR) / आरक्षित (SC/ST/OBC) श्रेणी का उल्लेख स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अटल बिहारी वाजपेयी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

G-18888 "स्वच्छता ही सेवा"

CISTRO TELELINK LIMITED

CIN: L19201MP1992PLC006925
ADDRESS: 208, Airen Heights, AB Road, Indore

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2024 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ending 30.09.2024	Half Year Ended (30.09.2024) (Year to date Figures/Previous Year ending)	Quarter Ending 30.09.2023
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total Income from Operations	5.07	11.99	9.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-8.44	-13.13	3.61
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-8.44	-13.13	3.61
4	"Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)"	-8.44	-13.13	3.61
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-8.44	-13.13	3.61
6	Equity Share Capital	513.43	513.43	513.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-216.27	-216.27	-73.43
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	(a) Basic	-0.01	-0.02	0.00
	(b) Diluted	-0.01	-0.02	0.00

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyFinancial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com (s) and the Company's website.

By Order of the Board
For **Cistro Teleink Ltd.**
Sd/-
Mr. Arun Kumar Sharma
Director (DIN No: 00369461)

Place : Indore
Date: 11/11/2024

PORWAL AUTO COMPONENTS LTD

CIN: L34300MP1992PLC006912
Regd. Office: Plot No. 209, Sector 1, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar, MP 454775 India | Tel No. (07292)405101, Fax no. (07292) 405120
E-mail: admin@porwalauto.com, website: www.porwalauto.com

(₹In Lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter ended			Half Year ended		Year ended
		30.09.2024 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income From Operations	3379.18	3448.49	3468.01	6827.67	7330.63	14681.40
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	-112.06	51.74	68.00	-60.32	187.81	436.25
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-112.06	51.74	68.00	-60.32	187.81	436.25
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-112.06	51.74	68.00	-60.32	187.81	436.25
5	Equity Share Capital	1510	1510	1510	1510	1510	1510
6	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Earnings Per Share (not annualized) – in Rupees (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
	(a) Basic :	-0.74	0.34	0.45	-0.40	1.24	2.55
	(b) Diluted :	-0.74	0.34	0.45	-0.40	1.24	2.55

Note:
1. The above financial results have been reviewed by Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on12th November, 2024.
2. Figures for the corresponding periods have been regrouped/ rearranged wherever necessary to make them comparable.
3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Unaudited Quarterly Financial results is available on the stock exchange website (www.bseindia.com) and on company's website (www.porwalauto.com)

For, PORWAL AUTO COMPONENT LTD
SD/-
DEVENDRA JAIN
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00232920

Place: PITHAMPUR
Date: 12th November, 2024

कार्यालय छावनी परिषद, महू
(रक्षा मंत्रालय)

महू छावनी, जिला इन्दौर (म.प्र.) पिन : 453441
दूरभाष क्रमांक: 07324-273226 Email: ceomhow.stats@nic.

भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

क्रमांक 2141/ एल. ए. — दिनांक 11/11/2024

निविदा सूचना

छावनी परिषद महू (म.प्र.) अन्य शासकीय कार्यालयों में पंजीकृत ठेकेदारों से महू छावनी क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न कार्यों हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार जो कि इन कार्यों की पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करते है वे शासकीय वेबसाईट पोर्टल www.defproc.gov.in पर जाकर निविदा की शर्तों एवं नियमों का विवरण देख सकते हैं।

कार्य का विवरण	अग्रिम धरोहर राशि
1. Term Contract For Repairing / Maintenance /Re-construction work for Group Toilet/Public Urinals in Mhow Cantonment Area.	Rs. Two lakh only
2. Term Contract for Repairing / Maintenance /Re-Construction/ Construction work for Cantonment School's, Buildings and CF Properties In Mhow Cantonment Area.	Rs. Three lakh seventy five thoused only
3. Contract for Wall painting artistic 2D, 3D, Traditional, Graphitic, pattern & writing work in Cantonment Board Mhow area.	Rs. Ten thoused only

2. निविदा केवल ऑनलाईन ही जमा होगी भौतिक निविदाएं किसी भी परिस्थितियों में स्वीकृत नहीं होगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद महू

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

SHAKTI® PUMPING LIFE

CIN : L29120MP1995PLC009327
Corporate Office: Plot No. C-4, Silver Spring Phase-2, Business Park, By-Pass Road, Opposite D-Mart, Indore (M.P.)-452020
Regd. Office: Plot No. 401, 402, & 413, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (M.P.)-454774 Tel: +91-731-3635000
E-mail : cs@shaktipumpsindia.com, Website: www.shaktipumps.com

Notice to the Members of the Company
Record Date for Issue of Bonus Equity Shares

Notice is hereby given that the Company has fixed Monday, November 25, 2024 as the 'Record Date' for the purpose of determining the members of the Company eligible for bonus equity shares in the proportion of 5:1 i.e., 5 (Five) new fully paid-up equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each for every 1 (One) existing fully paid-up equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each ("Bonus Shares").

The Bonus Shares shall be allotted to the members of the Company whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Record Date.

The Bonus Shares, once allotted, shall rank pari passu in all respects with the fully paid-up equity shares of the Company as existing on the Record Date and shall always be subject to the terms and conditions contained in the Memorandum and Articles of Association of the Company.

Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations , 2018, new Bonus Shares shall be allotted in dematerialised form only. With respect to the Bonus Shares of the members holding equity shares in Physical form who have not provided their demat account details to the Company, the said Bonus Shares shall be credited in dematerialised form to a new demat suspense account till they are credited to the beneficiary accounts of the respective members holding equity shares in physical form.

For **Shakti Pumps (India) Limited**
Sd/-
Ravi Patidar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: **Indore**
Date: **12th Nov., 2024**

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH AT INDORE
CP (CAA)/10/MP/2024
CONNECTED WITH CA(CAA)/4(MP)/2024

In the matter of the Companies Act, 2013;
And
In the matter of the Provisions of Sections 230-232 read with other relevant provisions of the Companies Act, 2013;
And
In the matter of IFF Overseas Private Limited and Brand Concepts Limited;
And
In the matter of the Scheme of Amalgamation of IFF Overseas Private Limited ("Transferor Company") with Brand Concepts Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors;

IFF OVERSEAS PRIVATE LIMITED,
(CIN: U51102MP1994PTC008165)
a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at Ring Road Square, Musakhedi, Indore, Madhya Pradesh – 452001 IN.

.... PETITIONER COMPANY / TRANSFEROR COMPANY

BRAND CONCEPTS LIMITED
(CIN: L51909MP2007PLC066484)
a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at 4th Floor, UNO Business Park, Indore Bypass Road, Opposite Sahara City, Bicholi Mardana, Indore, Madhya Pradesh – 452016 IN.

.... PETITIONER COMPANY / TRANSFEREE COMPANY

NOTICE OF HEARING OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under sections 230-232 of the Companies Act, 2013 for sanctioning of the Scheme of Amalgamation of IFF Overseas Private Limited ("Transferor Company") with Brand Concepts Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders and creditors was admitted by the Hon'ble NCLT, Bench at Indore on 06-11-2024. The said petition is fixed for hearing on 16-12-2024 at 02.30 p.m. or soon thereafter.

ANY PERSON desirous of supporting or opposing the said petition should send to the Petitioner Company (Petitioner) Counsel at their address mentioned hereunder, a notice of his intention, signed by him or his advocate, with his full name and address, so as to reach the Petitioners Counsel not later than two (2) days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit intended to be used in opposition to the petition, should be filed in Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Office No. 1 & 7, RCM-11, Anandavan 1, Scheme No. 140, Indore-PIN- 452016, M. P. and a copy thereof served on the Petitioners Counsel/PCS, not later than two days before the date fixed for hearing. A copy of the petition will be furnished by the Petitioners Counsel/PCS to any person requiring the same on payment of the prescribed charges.

Sd/-
Manju Mundra
PCS for the Petitioner Companies
122, Brajeshwari Extension, Behind Kalyan Marble, Near World Cup Square, Indore MP 452016

Place: Indore
Date : 12.11.2024

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Government of India, Ministry of Finance
Department of Finance Services, (Banking Division)
797-II, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur 482001 (M.P.)
Case No.: RC/253/2022 in O.A. No. 472/2021
CENTRAL BANK OF INDIA
Vs
SHRI HIMANSHU SHARMA
E - AUCTION No. 288 / 2024

Under mentioned properties will be sold by **"online e-auction" through website https://www.bankeauctions.com** for recovery of a sum of **Rs. 27,25,433.30 (Rupees Twenty Seven Lakh Twenty Five Thousand Four Hundred Thirty Three and Thirty Paisa only)** payable by you/him in respect of Recovery Certificate in **O.A. No. 472/2021** issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur with interest at **10.50% p.a.** with simple Interest from **24-06-2021** and costs payable as per recovery certificate till realization.

Date and Time of E-auction: 30.12.2024 Between 12.00 Hours and 13.00 Hours

SPECIFICATION OF THE PROPERTY PUT FOR SALE

Agriculture Land and Shade Khasra No. 94/5/1, Patwari Halka No. 30 (New 20), Sildar RI-Niwali, Tehsil Niwali, Distt. Badwani (M.P.), Total Area 0.303 Hectare, Belonging to Shri Himanshu Sharma S/o Shri Brajmohan Sharma.

Upset Price: Rs.13,52,000.00 (Rupees Thirteen Fifty Two Lakh Only)

Conditions of Sale:

(1) Intending bidders must hold a valid digital signature certificate. For details contact **M/s C-1 India Pvt. Ltd., Website: https://www.bankeauctions.com, Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Mithalesh Kumar on Mob. No. 7080804466, E-mail id: mpcg@c1india.com, E-mail id: support@bankeauctions.com.**
(2) Intending bidders are advised to go though website **https://www.bankeauctions.com** for auction bid form and details, terms and conditions of sale before submitting their bids.
(3) Bids should be submitted only online in the prescribed form along with a copy of identity document as an attachment to the bid form (refer detailed terms and conditions.) Bidder should satisfy them self with regard to correctness, measurement, encumbrances etc. by their own sources (Govt. Office) also later on DRT will not be responsible for this.
(4) 10% of the upset price i.e. EMD/Bid price **Rs. 1,35,200.00 (Rupees One Lakh Thirty Five Thousand Two Hundred Only)** must be remitted towards EMD through RTGS/NEFT/Money Transfer to the credit of **Account No. 5692799461** in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with **Central Bank of India, Dhobighat Branch, Jabalpur**. **(IFSC Code: CBIN0281618)** and the remittance must be clearly mentioned in the bid form.
(5) Bids should by submitted on or before 17.00 Hours on 27.12.2024 online.
(6) A copy of the bid form along with its enclosure submitted online should be sent to Recovery Officer, DRT, Jabalpur, 797-II, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur so as to reach at the earliest.
(7) Online bidding will commence from the highest bid quoted among the bids and the minimum increase for each bid will be **Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only)**. In case of bid received before closure of Auction window, there shall be an automatic extension of 5 minutes in Auction time by the system.
(8) The refund of EMD of the unsuccessful bidders will be remitted to the same account from which the payment has been made and no enquiry in this regard will be entertained. After deposit of EMD by intending bidder they cannot withdraw the EMD amount until they are declared as "Unsuccessful bidder" otherwise the amount will be forfeited.
(9) In the case of immovable property listed in the schedule below, the successful bidder shall remit 25% of the bid amount (less EMD) on the next day on declaration, if the sale is knocked down in his her favour through RTGS/NEFT/ Money Transfer to the **Account No. 5692799461** mentioned in SL. No. 4 and in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold and amount deposited as EMD will be forteited.
(10) The successful bidder shall remit balance 75% of the sale amount along with Poundage of 1% of sale amount plus Rs. 10/- for each property separately within 15 days of auction, to the **Account No. 5692799461** mentioned at SL. No.4 through RTGS/NEFT/ Money Transfer, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office working day after 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of a fresh proclamation of sale. The deposit will be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
(11) Property will be sold **"As is Where is basis and No Complaint Basis"**.
(12) The properties can be inspected on **20.12.2024 Between 12.00 hours and 16 hours.**
(13) Property will not be sold below the upset price.
(14) Recovery Officer have the absolute right to accept or reject the bid or postpone/cancel the sale without assigning any reason.
(15) Intending bidders are advised to peruse copies of the title deed available with the **Shri Sameer Parmar, Sr. Manager (Law), Mobile No. 89800 27220** and also check the identity and correctness of the property details and encumbrance etc from their own sources also, DRT will not be responsible for correctness etc.
(16) Details regarding e-auction shall be obtained from **M/s C-1 India Pvt. Ltd., Website: https://www.bankeauctions.com, Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24 for help a bidder in e-auction contact to Mr. Mithalesh Kumar on Mob. No. 7080804466, E-mail id: mpcg@c1india.com, E-mail id: support@bankeauctions.com.**
(17) Further property details if any required shall be obtained from **Shri Sameer Parmar, Sr. Manager (Law), Mobile No. 89800 27220.**
(18) The bidders may participate in the e-auction by quoting/bidding from their own offices/place of their choice. Internet connectivity shall have to be ensured by each bidder himself. DRT/Bank/Service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, power failure etc.

Place: Jabalpur, Date: 08.11.2024

SEAL

(VAATSALYA KUMAR)
RECOVERY OFFICER

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 — REGD. No. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ-08112024-258545
CG-MH-E-08112024-258545
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4474] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2024/कार्तिक 17, 1946
No. 4474] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2024/KARTIKA 17, 1946

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th November, 2024

S.O. 4855(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section(i) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (here in after referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, this land of **Village-Dungralalu Tehsil-Jhabua District-Jhabua** the brief description of which has given in the schedule annexed here to, is required for execution of Special Railway Project for Indore- Dahod new BG railway line in Dhar district of Madhya Pradesh state. Declares its intention to acquire such land in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Tehsil Jhabua District-Jhabua (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description, with or without structure, of the land under acquisition that will be affected for the construction of the new BG line project from Dahod to Indore (through Jhabua, Sardarpur, Dhar and Pithampur) in Jhabua district of Madhya Pradesh state.

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra Number	Area Affected In Hector
1				118/1	0.0316
2				118/2	
3				117/2	0.5300
4				117/1	0.0474
5				113/1	0.1120
6				113/2	
7				113/3	
8				113/4	
9				112	0.1623
10				109	0.1602
11				110/1	0.1277
12				110/2	
13				121	0.3255
14				108	0.2186
15				107	0.3000
16				94	0.0245
17				95/1	0.1233
18				95/2	0.4385
19	Jhabua	Jhabua	Dungralalu	96/1	0.1804
20				96/2	0.0519
21				266/1	0.0900
22				258	0.0967
23				264	0.0800
24				265	0.0272
25				267	0.0032
26				268	0.3533
27				263	0.1385
28				269/1	0.4203
29				269/2	
30				270	0.1885
31				272	0.0409
32				273/1	0.0626
33				301/3/1	0.0590
34				301/3/2	
35				283/1	0.0969
36				279/1	0.3108
37				301/1/1	0.2427
38				325	0.0007
39				365	0.0084
40				321	0.3200
41				322	0.0509
42				320	0.0494
43				319	0.2040
44				362/1	0.0279
45	Jhabua	Jhabua	Dungralalu	363	0.2499
46				367/4	0.3251
47				375/1	0.0285
48				287/3	0.0800
49				275/1	0.0023
50				282/1	0.0200
51				364	0.0142
52				288/1	0.0232
				Total	6.449

[E Office F. No. (E-514544-43)]
0725 — **DHEERAJ KUMAR**, Chief Engineer Construction-IV